न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 39 / 2019

उनवान

रमण पिता श्री खातु जाति भील उम्र वयस्क निवासी आंजना तहसील गढी जिला बासंवाडा।

—: वादी

बनाम

1. खातु पिता श्री कचरा जाति भील उम्र वयस्क
2. फकीरा पिता श्री नाथु जाति भील उम्र वयस्क
3. मना पिता श्री नाथु जाति भील उम्र वयस्क
4. भिखा पिता श्री गौतम जाति भील उम्र वयस्क
5. गटु पिता श्री गौतम जाति भील उम्र वयस्क
6. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व. श्री गौतम जाति भील उम्र वयस्क निवासीयान आंजना तहसील गढी जिला बासंवाडा।
7. तहसीलदार, तहसील गढ़ी हाल अरथूना जिला बासंवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 16.3.2021

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी व प्रतिवादी के संयुक्त पैतृक कब्जे काश्त बहैसयत खातेदारी के खाता सं. 204 नया व 169 व 184 पुराना के खसरा सं. 4940, 4946, 4951, 5044, 5241, 5242, 5243, 5253, 5256, 5264, 7470, 7475, 7488, 7492, 7685, 7686, 7695, 8164, 8374 चम्मत खेत 19 कुल रकबा 2.39 है.कुल लगान 27.90 रू. वाके ग्राम आजला पटवार क्षेत्र आंजना तहसील गढी जिला बांसवाडा राजस्थान की जमाबन्दी संवत् 2074 मे दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि भूमि पर वादी काश्त करता चला आ रहा है एव राज्य सरकार मे लगान अदा करता चला आ रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी प्रतिवादीगण के साथ विभाजन कर काश्त करता चला आ रहा है एवं मौके पर वादी का हक हित विधमान है। वादी व प्रतिवादीगण कचरा की संतान है कचरा के पुत्र खातु, नाथु, गौतम व छगन थे छगन ने वादी को अपने जीवन काल में अपने साथ रखा था तथा छगन के साथ छगन के हिस्से में आई कृषि भूमि की देखभाल व काश्त करता चला आ रहा है छगन के फोत होने के बाद छगन का क्रियाक्रम वादी द्वारा किया गया श्री छगन की दो पत्नीया श्रीमती अनोप व श्रीमती शान्ता की सेवा चाकरी भी वादी ने की है। श्री छगन के फोत होने के बाद पैतृक वादग्रस्त कृषि श्रीमती अनोप व श्रीमती शान्ता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। वादी द्वारा श्रीमती अनोप व श्रीमती शान्ता की कृषि भूमि की देख भाल व काश्त की गई है। श्रीमती अनोप व श्रीमती शान्ता ने एक मात्र रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 21.02.1995 को वादी के हक में तहरीर कर दी है। श्रीमती अनोप व श्रीमती शान्ता के फोत होने के बाद वादी की जानकारी के बिना वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण ने अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा दी। जबकि प्रतिवादीगण को जानकारी है कि, वादी ने श्री छगन, श्रीमती अनोप व श्रीमती शान्ता के क्रियाक्रम व सेवा चाकरी की है तथा वादी ने उनके ... में भी जीवन काल से काश्त करता चला आ रहा है एंव वर्तमान मे भी मौके पर वादी ... छगन के हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त विद्यमान है तथा छगन के ... की कृषि भूमि में ... जो मकान बनाया था उसी में ही वादी निवासरत है एंव वर्तमान मे वादी ही निवास कर छगन के हिस्से की कृषि भूमि में काश्त करता चला आ रहा है। जिस कारण वादी को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक है। वादी वादग्रस्त कृषि भूमि में छगन के हिस्से की कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादी छगन के जीवनकाल से ही वादी काश्त करता चला आ रहा है लेकिन वादी को जानकारी दिये विना प्रतिवादी ने श्री छगन की कृषि भूमि में अपना नाम नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दर्ज करवा दिया जो कि, गैर कानूनी होकर निरस्ती योग्य है तथा वादी श्री छगन की कृषि भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि में राजस्व रेकॉर्ड में विभाजन नहीं होने से उक्त खाता शामलाती है जबकि श्री छगन के जीवनकाल से ही उक्त खाता विभाजित होकर वादी श्री छगन के हिस्से की भूमि पर श्री छगन के जीवन काल से काश्त करता चला आ रहा है। जिस कारण वादी को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने हेतु धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह वाद पेश है। वादी को कब्जे शुदा खाता सं. 204 नया व 169 व 184 पुराना के खसरा सं., 4940, 4946, 4951, 5044, 5241, 5242, 5243, 5253, 5256, 5264, 7470, 7475, 7488, 7492, 7685, 7686, 7695, 8164, 8374 कुल खेत 19 कुल रकबा 2.39 है.कुल लगान 27.90 रू. वाके ग्राम आंजला पटवार क्षेत्र आंजना तहसील गढी जिला बांसवाडा राजस्थान मे स्थित है, वादी ने अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण आज कल का बहाना बनाकर टालमटोल कर रहे है एंव प्रतिवादीगण द्वारा झगडा कर कब्ज काश्त भूमि बाधा व रूकावट पैदा की जा रही है। जिससे वादी को उक्त भूमि में काश्त में बाधा में कठिनाई उत्पन्न हो रही है जिसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोकने हेतु धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश है। वादी व प्रतिवादी के संयुक्त पैतृक कब्जे काश्त बहैसयत खातेदारीके खाता सं. 204 नया व 169 व 184 पुराना के खसरा सं. 4940, 4946, 4951, 5044, 5241, 5242, 5243, 5253, 5256, 5264, 7470, 7475, 7488, 7492, 7685, 7686, 7695, 8164, 8374 कुल खेत 19 कुल रकबा 2.39 है. कुल लगान 27.90 रू. वाके ग्राम आंजला पटवार क्षेत्र आंजना तहसील गढी जिला बांसवाडा राजस्थान की जमाबन्दी संवत् 2074 मे दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि भूमि पर वादी काश्त करता चला आ रहा है एव राज्य सरकार मे लगान अदा करता चला आ रहे है। वादी को श्री छगन के हिस्से की कृषि भूमि मे प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार कृषक घोषित होने की वाद पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर किसी के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की जाने पर वादी अभिभाषक द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को ही वादी की साक्ष्य होने का कथन किया जाकर तहसीलदार, गढ़ी के न्यायिक प्रकरण संख्या 02/2019 के निर्णय की प्रति एंव दस्तावेजात पेश किये गये। प्रकरण में वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन करने एंव वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, खाता संख्या 204 (नई) 169, 184 (पुरानी) की नकल जमाबन्दी संवत 2074, दस्तावेज वसीयत नामा की छाया प्रति तथा तहसीलदार, गढ़ी के न्यायिक प्रकरण संख्या 02/2019 के निर्णय का अवलोकन किया जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि श्रीमती अनोप व शान्ता वादग्रस्त भूमि के वर्तमान खातेदारान् के भाई छगन की पत्नियां होकर उनकी कोई औलाद नही होने से उनके द्वारा श्री रमण पिता खातु के पक्ष में वसीयत की जाने से वादग्रस्त भूमि मे छगन के हिस्से में आने वाली भूमि में वादी को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः पटवार हल्का आंजना के मौजा आंजना की खाता संख्या 204 (नई) 169, 184 (पुरानी) में प्रतिवादीगण के साथ रमण पिता खातु को सहखातेदार घोषित किया जाकर खातु पिता कचरा 1/4, फकीरा पिता नाथु 1/8, मना पिता नाथु 1/8, भीखा पिता गोतम 1/12, गटु पिता गोतम 1/12, लक्ष्मी पत्नि स्व0 श्री गोतम 1/12, रमण पिता खातु 1/4 शेष बाकि बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:16 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

पटवार हल्का आंजना के मौजा आंजना की खाता संख्या 204 (नई) 169, 184 (पुरानी) में प्रतिवादीगण के साथ रमण पिता खातु को सहखातेदार घोषित किया जाकर खातु पिता कचरा 1/4, फकीरा पिता नाथु 1/8, मना पिता नाथु 1/8, भीखा पिता गोतम 1/12, गटु पिता गोतम

Scanned by CamScanner

12. लक्ष्मी पत्नि स्व0 श्री गोतम 1/12, रमण पिता खातु 1/4 हिस्सा बाकि बदस्तूर दर्ज करने आदेश दिया जाकर ईस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner